नकल प्रमाणित फोटो प्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या- 21 / 2023 — दायर दिनांक- 19.12.2023

जीसीएमएस नं. 2023 / 572

1. अतरसिंह उम्र 70 साल
2. बिजेन्द्र उम्र 62 साल
3. रेवसिंह उम्र 60 साल
4. भरत उम्र 55 सयाल
5. सुन्दराज उम्र 50 साल

(पिसरान मुख्यार)

6. रूमाली उम्र 75 साल
7. सुशीला उम्र 57 साल
8. केशपति उम्र 53 साल

(पुत्रियॉ मुख्यार)

सभी जाति – गुर्जर
निवासी–ईटखेडा
तहसील–बयाना
जिला–भरतपुर
राज०

———प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, करौली
2. तहसीलदार तहसील सूरौठ, जिला करौली राज०

———अप्रार्थी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित –1.श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता –प्रार्थीगण
2.पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 28.05.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिए वकील खिलाफ अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नं0 132 रकवा 32 ऐयर, 137 रकवा 56 ऐयर, 144 रकवा 03 ऐयर, 133 रकवा 42 ऐयर, 131 रकवा 56 ऐयर, 142 रकवा 38 ऐयर, 150 रकवा 36 ऐयर, 152 रकवा 58 ऐयर, 153 रकवा 19 ऐयर, 154 रकवा 61 ऐयर, 155 रकवा 11 ऐयर, 156 रकवा 31 ऐयर, 157 रकवा 25 ऐयर, 158 रकवा 42 ऐयर, 159 रकवा 36 ऐयर, 160 रकवा 59 ऐयर, 148 रकवा 31 ऐयर, 161 [illegible] ऐयर, 162 रकवा 40 ऐयर, 163 रकवा 41 ऐयर, 164 रकवा 2[illegible] ऐयर, 134 [illegible] ऐयर, 135 रकवा 44 ऐयर, 136 रकवा 52 ऐयर, 165 रकवा 21 ऐयर, 166 रकवा 41 ऐयर, 184 रकवा 23 ऐयर, 185 रकवा 33 ऐयर, 186 रकवा 18 ऐयर, 187 रकवा 72 ऐयर, 1[illegible] रकवा 55 ऐयर, 189 रकवा [illegible] ऐयर, 190 रकवा 49 ऐयर, 191 रकवा 23 ऐयर, 192 रकवा 8 ऐयर, 193 रकवा 32 ऐयर, 194

मिलान किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपी

नकल प्रभारी (रीडर)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 16 ऐयर, 195 रकबा 33 ऐयर, 196 रकबा 68 ऐयर, 143 रकबा 1 ऐयर, 130 रकबा 32 ऐयर वाके ग्राम धुरसी तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 में स्थित है।

भूमि मुतजिका मद नं0 1 वादपत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है, जो प्रार्थीगण को अपने बुजुर्गान से बिरासत में मिली है। पूर्व में इस भूमि को वादीगण के पिता मुख्त्यार काश्त करते थे। उनके फोत होने के बाद उक्त भूमि को प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। मोके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त मौजूद है। उक्त आराजीयात से अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थीगण के पिता मुख्त्यार पुत्र गंगाविशन जाति गुर्जर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलती से प्रार्थीगण के पिता का नाम मुकन्दा पुत्र श्री गंगाविशन दर्ज हो गया है। जो कि गलत है प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मुख्त्यार है जो अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है मुकन्दा पुत्र गंगाविशन नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

प्रार्थीगण के पिता के फोत हो जाने पर प्रार्थीगण ने अपने नाम विरासत का नामांतकरण खुलवाने की कार्यवाही की तो पटवारी हल्का से मुकन्दा पुत्र गंगाविशन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की जानकारी हुई। प्रार्थीगण ने तहसीलदार सूरौठ को प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति होने के कारण का विरासत का नामांकरण खुलवाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम का संशोधन करवाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने संशोधन के लिए काफी प्रयास किया लेकिन तहसीलदार सूरौठ द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थीगण तहसीलदार के पास जाते जाते परेशान हो चुके हैं लकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

वाका दिनांक 28.11.2023 को प्रार्थीगण सुबह 11.00 बजे तहसीलदारजी तहसील सूरौठ के पास संशोधन करवाने के लिए गये तो तहसीलदारजी सूरौठ ने राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। तथा न्यायालय में दुरूस्ती का दावा पेश करने की हिदायत दी। तहसीलदारजी सूरौठ इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है।

बिनाय दावा दिनांक 28.12.2023 को बमुकाम धुर्सी तहसील सूरौठ जिला करौली तहसीलदार द्वारा संशोधन करने से स्पष्ट इंकार करने के कारण पैदा हुई है इस कारण दावा अन्दर म्याद पेश किया गया है।

अतः यह दावा प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण बावत इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर निवेदन है कि मुतजिका मद नं0 1 वादपत्र में वर्णित आराजीयात [illegible] रिकॉर्ड में मुकन्दा पुत्र गंगाविशन जाति गुर्जर निवासी ईंटखेडा [illegible] किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में मुख्त्यार पुत्र गंगाविशन [illegible] गुंर्जर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर दर्ज किया जावे। तथा समस्त [illegible]जस्त रिकॉर्ड में संशोधन करवाया जावे के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 332, 323, 320, 325, 322, 324, 331, 225, 330, 321, 318, 319, 224 की प्रमाणित प्रति पेश की एवं सरपंच ग्राम पंचायत खूटखेडा पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में मुकन्दा पुत्र गंगाविशन के स्थान पर मुख्त्यार पुत्र गंगाविशन करने की अभिशंषा की है, एवं श्री मुख्त्यार का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रतियाँ पेश की हैं।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत ईंटखेडा पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर से प्रार्थना पत्र में प्राप्त अभिशंषा प्रार्थना पत्र के साथ, जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 332, 323, 320, 325, 322, 324, 331, 225, 330, 321, 318, 319, 224 की प्रमाणित प्रति पेश की एवं सरपंच ग्राम पंचायत खूटखेडा पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में मुकन्दा पुत्र गंगाविशन के स्थान पर मुख्त्यार पुत्र गंगाविशन करने की अभिशंषा की है, एवं श्री मुख्त्यार का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रतियाँ पेश की हैं जिनका अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जमाबंदी सम्वत 2070–73 में प्रार्थीगण की खातेदारी में खाता संख्या 332, 323, 320, 325, 322, 324, 331, 225, 330, 321, 318, 319, 224 में प्राथीगण के पिता का नाम मुकन्दा पुत्र गंगाविशन के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मुख्त्यार पुत्र गंगाविशन जाति गुर्जर निवासी ईंटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर जिसे प्रार्थीगण के हक में दुरुस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबंदी सम्वत 2070–73 में प्रार्थीगण की खातेदारी में खाता संख्या 332, 323, 320, 325, 322, 324, 331, 225, 330, 321, 318, 319, 224 में प्राथीगण के पिता का नाम मुकन्दा पुत्र गंगाविशन के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मुख्त्यार पुत्र गंगाविशन जाति गुर्जर निवासी ईंटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरुस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो।

लिखाया किया निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

प्रमाणित प्रतिलिपि

नकल प्रभारी (सीआर)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी